नगर निगम रोहतक की दिनांक 14.06.2016 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिर्पोट।

दिनांक 14.06.2016 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेनू डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक मे निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुएः-

1. श्रीमति मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक भाटी, वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमति ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
4. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0-5, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमति सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमति उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमति अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमति नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अजय कुमार जैन, वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री जय किशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमति लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो तथा अधिकारियों का स्वागत किया। इसके पश्चात् एजेन्डा बिन्दू पर चर्चा करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओ पर चर्चा की गईः-

क्रम संख्या	बिंदू	निर्णय
1.	वार्ड नं0 15 के पार्षद श्री अजय जैन ने सदन को अवगत करवाया कि नगर निगम की कर शाखा में प्रोपर्टी टैक्स के बिल बंटवाने में काफी देरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त बिल ठीक नही बनाए गये है बिलो में काफी पहले का टैक्स का एरियर जोड कर दिया गया है तथा जब अधिकारियों से बिलों के बारे में	आयुक्त महोदय ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी को निर्देश दिये कि वे दो दिन मे संबधित एजेन्सी/फर्म को वर्क आर्डर देने की प्रक्रिया पूरी करके संयुक्त आयुक्त महोदय को अवगत करवाएं तथा एक सप्ताह के अन्दर-2 बिल वितरण प्रक्रिया मे हुई देरी को दुरूस्त करके बिल बंटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करे।

	विस्तार से पूछा जाता है तो वे अनाकानी करते है तथा संतुष्टिपूर्ण जवाब नही दे पाते।	प्रोपर्टी टैक्स के बिलो की शिकायतो के निपटान बारे आयुक्त महोदय ने आदेश दिये कि प्रोपर्टी टैक्स के बिलों मे आ रही समस्याओ के समाधान हेतू संयुक्त आयुक्त महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 20.06.2016 से लेकर दिनांक 25.06.2016 (सोमवार से शनिवार तक) नगर निगम कार्यालय में खुला दरबार लगाकर आमजन को प्रोपर्टी टैक्स के प्रति जागरूक करे तथा उनकी सभी प्रकार की समस्याओ/शिकायतो का समाधान करें। इस बारे क्षेत्रीय कराधान अधिकारी विज्ञापन के माध्यम से सभी शहरवासियों को खुले दरबार के बारे में अवगत करवाए। इसके अतिरिक्त लम्बित जांच पर संयुक्त आयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। **(कार्यवाही संयुक्त आयुक्त एवं क्षेत्रीय कराधान अधिकरी द्वारा की जानी है।)**
2.	सभी पार्षदो ने सदन को बताया कि उनके वार्डो में काफी स्थानो पर स्ट्रीट लाईट नही है तथ इस बारे बार-2 आमजन की शिकायतें प्राप्त हो रही है।	आयुक्त महोदय ने संबधित कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि वे पूर्व में की जा रही 800 एल0ई0डी0 लाईटे खरीदने की प्रक्रिया में सदन की स्वीकृति उपरांत अब 2000 एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईटे खरीदने बारे नियमानुसार कार्रवाइ पूर्ण करें। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
3.	पार्षदो ने बताया कि कई बार वाडों में विकास कार्य करने के लिए जारी की गई राशि में से कुछ राशि बच जाती है। अतः बची हुई राशि को उसी वार्ड के विकास कार्यो में लगाया जाये। इस बारे संबधित कार्यकारी अभियंता को अधिकृत किया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा सदन अवगत कराया कि कार्यकारी अभियंताओं को एक लाख तक के Petty work करने बारे पूर्व में ही अधिकृत किया हुआ है। सदन के निर्णय अनुसार अब सभी वार्डों में विकास कार्यो की अनुमानित राशि में से बची हुई राशि को उसी वार्ड में प्रयोग करने के लिए एक लाख रूपये तक कार्यकारी अभियंता एवं एक लाख से अधिक राशि के लिए संयुक्त आयुक्त को नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कर कार्य करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
4.	वार्ड नं0 19 के पार्षद श्री अनिल कुमार ने बताया कि उनके वार्ड के अंर्तगत आने वाले झज्जर चुंगी से लेकर झज्झर बाईपास तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक का निर्माण किया जा चुका है परन्तु सडको पर लाईटे नही लगाई गई है। इसके कारण आमजन को रात्रि के समय आवागमन में परेशानी होती है तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः झज्जर चुंगी से लेकर झज्झर बाईपास तक सडक पर लाईटे लगवाई जाये।	सदन में संयुक्त आयुक्त महोदय ने बताया कि झज्जर चुंगी से लेकर झज्झर बाईपास तक की सडक बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है। उक्त सडक पर लाईटें लगवाने हेतू संबधित विभाग से समन्वय स्थापित करके शीघ्र लाईटे लगवा दी जायेगी। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
5.	सदन में कई पार्षदों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायः कनिष्ठ अभियन्ता ठेकेदारों के बिल काफी देरी से प्रस्तुत करते है जिससे उनकी अदायगी मे देरी होती है तथा पुराने कनिष्ठ अभियन्ता/नगर अभियन्ता जिनके समय मे कार्य हुआ	आयुक्त महोदय द्वारा सदन में कार्यकारी अभियन्ताओं को निर्देश दिये कि वे अपने अधिनिस्थ स्टाफ को समय पर बिल प्रस्तुत करने बारे निर्देश जारी करें ताकि बिलों कि अदायगी में देरी न हो । इसके अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश जारी किये

अ

	है वे बिलो पर हस्ताक्षर नहीं करते जिससे अदायगी मे परेशानी आती है ।	कि सभी कनिष्ठ अभियन्ता/नगर अभियन्ता कार्यो की गुणवता सुनिश्चित करते हुए मौके अनुसार कार्य का रिकार्ड इन्द्राज करना सुनिश्चित करेगें तथा सभी कनिष्ठ अभियन्ता ठेकेदारों से समन्वय स्थापित करके कार्य आदेश व एग्रीमेन्ट अनुसार किये हुये कार्य की गुणवता निर्धारित करते हुए महिने वार बिल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें अन्यथा उनके विरूद्व कार्रवाई की जाये। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
6.	वार्ड न0 14 के पार्षद द्वारा सदन में अवगत कराया कि उनके वार्ड मे तीन बार वर्क आर्डर जारी करने के बाद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं कराया गया है तथा वार्ड मे पेंच वर्क का कार्य भी नहीं किया जाता ।	आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिये कि जिस भी ऐजन्सी ने कार्य करने में कौताही की है उसे **Blacklist** करने बारे कार्यवाही करते हुये तुरन्त विकास कार्यो को शुरू कराया जाये । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
7.	वार्ड न0 20 के पार्षद ने सदन में अवगत कराया कि मेरे वार्ड में अभी तक कोई कार्य नही हुआ है । मेरे वार्ड के 19 करोड रू0 निगम में जमा है लेकिन विकास कार्य बहुत कम हुये है ।	सदन में कार्यकारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि वार्ड 20 के दो काम 2014 से लम्बित चले आ रहे थे । अब पंचकुला मुख्यालय में मेरे द्वारा पैरवी की गई है सक्षम अधिकारी से आवश्यक मंजूरी उपरान्त कार्य शुरू करा दिये जायेगे । उपायुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश जारी किये कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी वार्डो के कार्यो को गति प्रदान की जाये । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
8.	वार्ड न0 7 के पार्षद सदन में अवगत कराया कि बाईपास के साथ 2 एकड जमीन निगम की है उसमें पार्क बनवाया जाये तथा शमशान घाट का कार्य अधूरा है उसे पूरा कराया जाये । गांव बोहर में जब तक अमृत स्कीम के पैसा आता है तब तक की गलियों में जहां सीवर लाईन नहीं डाली है वहां इन्टरलॉकिगं टाईल लगवाई जाये तथा उनके साथ नालियां बनवाई जाये । इसके अतिरिक्त हरिजन चौपाल का सौदर्यकरण कराया जाये व कुम्हार चौपाल को बनवाया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिये कि जगह देखकर पार्क बनाने बारे आगामी कार्यवाही की जाये तथा शमशान घाट की जगह का तुरन्त मौका निरीक्षण किया जाये । कार्यकारी अभियन्ता ने सदन को अवगत कराया कि जिन गलियों में सीवर नहीं डाले है वहां पर इन्टरलॉकिगं डालने से खर्चा बढेगा । लेकिन जनहित में सदन की सर्वसम्मति उपरान्त आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये कि जिन गलियों में सीवर नहीं डाले गये है उनमें इन्टरलॉकिगं टाईल डालने बारे तुरन्त आगामी कार्यवाही की जाये तथा भविष्य में सीवर डालने उपरांत उन्ही इन्टरलॉकिंग टाईल का टूट फूट निकाल कर प्रयोग किया जाये। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
9.	वार्ड न0 8 के पार्षद द्वारा सदन को अवगत कराया कि अभी तक बलियाना गांव में कब्जा नहीं हटा है तथा गांव में नाला काफी गहरा है जिसमें जान माल की हानि का अंदेशा है उसे ढकवाया जाये । गांव बलियाना के रिगं बाधं पर सडक बनवाई जाये । सदन में यह भी अवगत कराया कि गांव वासियों की मारूती	बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये डयुटी मजिस्ट्रेट लगवाकर अवैध कब्जे हटवाने बारे कार्यवाही करत हुए एवं कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिये कि सदन की सर्वसम्मति अनुसार नाले के ढकने बारे आगामी कार्यवाही करें तथा रिगं बाधं को मेटल रोड बनाने बारे आगामी कार्यवाही करें । सहायक नगर योजनाकार

Sd/-

	कम्पनी से सहमती उपरान्त गांव बलियाना में सीवर डलवाये थे जिनके पानी की निकासी एचएसआईडीसी द्वारा नहीं की जा रही इस मामले को मानेसर की तर्ज में सुलझाया जाये । पार्षद महोदन ने अवगत कराया कि खेडी साध में जहां कुडा पडता है उस जगह पर आगंन वाडी बनाई जाई ।	एचएसआईडीसी से पानी की निकासी के समाधान करवाने बारे अर्धसरकारी पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें । आयुक्त महोदय द्वारा पीओ आईसीडीएस को निर्देश दिये कि वे निगम से समन्वय स्थापित करके खेडी साध में आगनवाडी बनवाने बारे आगामी कार्यवाही करें । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, सहायक नगर योजनाकार व भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
10.	सदन में वार्ड न0 17 के पार्षद द्वारा अवगत कराया कि श्री विकास ड्राईवर द्वारा मेरे साथ बदतमिजि की गई है उसे तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की जाये ।	आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये कि विकास ड्राईवर को तुरन्त प्रभाव से हटाना सुनिश्चित करें । **(कार्यवाही मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा की जानी है।)**
11.	पहरवार गौशाला के साथ लगती कॉलीनी में सीवर डलवाये जाये तथा वार्डन0 8 कण्डेला जोहड में पार्क बनवाया जाये ।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियन्ता को उक्त बारे आगामी कार्यवाही करने बारे निर्देश दिये । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
12.	वार्ड नं0 12 के पार्षद श्री गुलशन ईशपुनियानी ने कहा कि उनके वार्ड में कई स्थानों पर पानी की पाईप लाईन नही है। अतः आवश्यकतानुसार उनके वार्ड में 100 गज के लगभग पानी की पाईप लाईन डलवाई जाये।	अधीक्षक अभियनता जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया कि हमारे पास पाईप नहीं तथा इस तरह से कई शिकायते आना शुरू हो जायेगी । आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये कि वार्डन0 12 के इस कार्य को प्राथमिकता के आधार कराना सुनिश्चित किया जाये । **(कार्यवाही अधीक्षक अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जानी है।)**
13.	वार्ड पार्षदो ने कहा कि सदन में पूर्व में पास किया गया था कि समाजकल्याण विभाग द्वारा सभी पार्षदो को पैंशन लाभार्थियों की सूचि उपलब्ध करवाई जाये परन्तु उन्हे पैंशन लाभार्थियों की सूचि उपलब्ध नही करवाई जाती।	आयुक्त महोदय द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि वे भविष्य में सभी पार्षदों को पैंशन भोगियों की सूची उपलब्ध करायें । **(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
14.	वार्ड नं0 9 के पार्षद श्री बलराज ने कहा कि उनके वार्ड में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की जमीन पर खेल का मैदान विकसित किया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा सम्पदा अधिकारी, हुडा, रोहतक को निर्देश दिये कि इस कार्य बारे तुरन्त आगामी कार्यवाही की जाये । **(कार्यवाही सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।)**
15.	झज्जर बाईपास चौक का नाम शहीद भगत सिहं चौक रखा जाये ।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार मूर्ति स्थापना नहीं की जा सकती । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता व कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जानी है।)**
16.	वार्ड पार्षदों ने बताया कि उनके वार्डो में सफाई व्यवस्था ठीक नही है। अतः वार्डो में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये। वार्ड न0 2 में पाण्डव नगर में तालाब के पानी की सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है उसे ठीक	आयुक्त महोदय द्वारा बैठक मे सहायक नगर योजनाकार को सफाई व्यवस्था का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये सयुंक्त आयुक्त की अध्यक्षता मे निरीक्षण करने के निर्देश दिये कि सफाई व्यवस्था ठीक करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त

	कराया जाये ।	सभी वार्ड वाईज स्प्रे/फोगिंग कराना सुनिश्चित किया जाये । **(कार्यवाही सिविल सर्जन, रोहतक व सहायक नगर योजनाकर व मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा की जानी है।)**
17.	वार्ड नं0 16 के पार्षद एवं उपमेयर महोदय ने बताया कि अलखनन्दा कालोनी में बनी सामूदायिक केन्द्र पर दो परिवारो का कब्जा है। अतः उक्त सामुदायिक केन्द्र से कब्जा हटवाया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा बैठक मे निर्देश दिये कि सहायक नगर योजनाकार अपनी अध्यक्षता में एक टीम गठित करके उक्त कब्जे को छुडवाने बारे आगामी कार्यवाही करे तथा निगम में इस प्रकार के और सामुदायिक केन्द्रों की लिस्ट बनाकर एक प्रोग्राम बनाकर कब्जे छुडवाये जाये । **(सहायक नगर योजनाकार व भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
18.	वार्ड पार्षदों ने बताया की उनके वाडों में कई जगह गलियां काफी छोटी है तथा कई जगह बिजली के पोल नही है ऐसे स्थानों पर घरो के बाहर स्ट्रीट लाईट लगाई जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिये कि वे सम्बन्धित घरो अथवा पार्षद से शपथ पत्र लेकर नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करने उपरांत लाईट लगवाए। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
19.	वार्ड पार्षदो ने कहा कि उनके वार्ड मे कितनी आंगनबाडी है, उनमें कितने बच्चे है तथा उन्हे कितना राशन दिया जाता है? सभी का ब्यौरा दिलवाया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा पीओआईसीडीसी को निर्देश दिये कि सभी पार्षदो को वार्डवाईज लिस्ट दी जाये तथा राशन को ब्यौरा भी दिया जाये । **(कार्यवाही पीओआईसीडीसी द्वारा की जानी है।)**
20.	वार्ड न0 5 के पार्षद द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि आउटसोर्सिंग स्टाफ को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये तथा हमारे पार्षदों के कर्मचारी लगाये जाये ।	आयुक्त महोदय द्वारा संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिये कि आउटसोर्सिंग मामले की स्वयं निजि तौर पर जांच करके नियमुनसार कार्यवाही की जाये ।
21.	वार्ड न0 11 के पार्षद द्वारा अवगत कराया गया कि जहां कब्जे नहीं है वहां रैम्प न तोडे जाये व ब्रेकर लगवाये जाये ।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जहां पर अवैध कब्जा नहीं है वहां रैम्पों को न तोडा जाये । आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिये कि नियमानुसार कार्यवाही की जाये । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
22.	उप मेयर द्वारा अवगत कराया कि कुताना में सीवर के टैण्डर हो चुके किसी कारण से कार्य को बंद कर दिया गया मौका दिखवाया जाये ।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियन्ता को मौका देखने बारे निर्देश दिये गये । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**

इसके पश्चात् निम्नलिखत मुख्य एजेंडा बिन्दुओ पर विचार विमर्श किया गया:-

क्रम संख्या	एजेंडा बिंदू	निर्णय
1.	**राजीव नगर कालोनी में पार्क की खाली भूमि नगर निगम के अधीन लेने बारे।** राजीव नगर कालोनी में पार्क की खाली भूमि पड़ी है, जिस पर पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। इस लिए इस पार्क की खाली पड़ी भूमि को अपने	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**

SW

	अधीन लेने से पहले नगर निगम द्वारा नियम की परिधि में नोटिस व सार्वजनिक सूचना दैनिक भास्कर/ दैनिक जागरण दो अखबारो में दिनांक 17-11-2015 को दी गई कि इस पार्क की खाली भूमि को नगर निगम अपने अधीन लेने जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज है तो वह अपना एतराज इस नोटिस जारी होने के 7 दिन के अन्दर-2 सम्बन्धित मलकीयत के दस्तावेजो/सबूतो सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। समय पर दस्तावेज/ सबूत/एतराज प्राप्त न होने पर नगर निगम द्वारा इस पार्क की खाली भूमि को जैम टपससंहम ब्व.३.३वद स्ंदक ।बज 1961 की धारा 2 ळ व सरकार के छवजपपिबंजपवद 1999 की धारा 22 बी व जैम भ्तलंदं डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।बज 1994 की धारा 2 ३पधारा 52.। के तहत अपने कब्जे में लिया जाना है। अतः इस पार्क की भूमि को नगर निगम के अधीन लेने के लिए प्रस्ताव सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	
2.	**सैनिक कालोनी स्थित धर्मशाला को नगर निगम के अधीन लेने बारे।** सैनिक कालोनी में स्थित धर्मशाला का निर्माण कई वर्ष पहले हुआ था, जिस का रख रखाव पहले कालोनी वासियों द्वारा किया जा रहा था। अब यह धर्मशालाएं खण्डर जैसी हो गई है। इस का रख रखाव भी ठीक प्रकार से नही हो रहा है। इस लिए इस धर्मशाला को नगर निगम अपने अधीन लेने से पहले नगर निगम द्वारा नोटिस व सार्वजनिक सूचना दैनिक भास्कर/ दैनिक जागरण दो अखबारो में दिनांक 17-11-2015 को दी गई कि इस धर्मशाला को नगर निगम अपने अधीन लेने जा रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज है तो वह अपना एतराज इस नोटिस जारी होने के 7 दिन के अन्दर-2 सम्बन्धित मलकीयत के दस्तावेजो/एतराज/सबूतो सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। समय पर दस्तावेज/एतराज/ सबूत प्रस्तुत न करने पर नगर निगम द्वारा इस धर्मशाला को जैम टपससंहम ब्व.३.३वद स्ंदक ।बज 1961 की धारा 2 ळ व सरकार के छवजपपिबंजपवद 1999 की धारा 22 बी व जैम भ्तलंदं डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।बज 1994 की धारा 2 ३पधारा 52.। के तहत अपने कब्जे में लिया जाना है। अतः इस धर्मशाला को नगर निगम के अधीन लेने के लिए प्रस्ताव सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**

3.	**जे0पी0 कालोनी में स्थित धर्मशाला को नगर निगम के अधीन लेने बारे।** जे0पी0 कालोनी में स्थित धर्मशाला का निर्माण कई वर्ष पहले हुआ था, जिस का रख रखाव पहले कालोनी वासियों द्वारा किया जा रहा था। अब यह धर्मशालाएं खण्डर जैसी हो गई है। इस का रख रखाव भी ठीक प्रकार से नही हो रहा है। इस लिए इस धर्मशाला को नगर निगम अपने अधीन लेने से पहले नगर निगम द्वारा नोटिस व सार्वजनिक सूचना दैनिक भास्कर/ दैनिक जागरण दो अखबारो में दिनांक 17-11-2015 को दी गई कि इस धर्मशाला को नगर निगम अपने अधीन लेने जा रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज है तो वह अपना एतराज इस नोटिस जारी होने के 7 दिन के अन्दर-2 सम्बन्धित मलकीयत के दस्तावेजो/एतराज/सबूतो सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। समय पर दस्तावेज/एतराज/ सबूत प्रस्तुत न करने पर नगर निगम द्वारा इस धर्मशाला को जैम टपससंहम ब्व३३वद स्ंदक ।बज 1961 की धारा 2 ळ व सरकार के छवजपपिबंजपवद 1999 की धारा 22 बी व जैम भ्तलंदं डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।बज 1994 की धारा 2 ३पधारा 52.। के तहत अपने कब्जे में लिया जाना है। अतः इस धर्मशाला को नगर निगम के अधीन लेने के लिए प्रस्ताव सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
4.	**माडल टाउन में स्थित बारात घर को नगर निगम के अधीन लेने बारे।** माडल टा३न में स्थित बारात घर का निर्माण कई वर्ष पहले हुआ था, जिस का रख रखाव पहले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। अब यह बारात घर खण्डर जैसा हो गया है। इस का रख रखाव भी ठीक प्रकार से नही हो रहा है। इस लिए इस बारात घर को अपने अधीन लेने से पहले नियम की परिधि में नगर निगम द्वारा नोटिस व सार्वजनिक सूचना दैनिक भास्कर/ दैनिक जागरण दो अखबारो में दिनांक 06-07-2015 को दी गई कि इस बारात घर को नगर निगम अपने अधीन लेने जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज है तो वह अपना एतराज इस नोटिस जारी होने के 7 दिन के अन्दर-2 सम्बन्धित मलकीयत के दस्तावेजो/एतराज/सबूतो सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। समय पर दस्तावेज/एतराज/ सबूत प्रस्तुत न करने पर नगर निगम द्वारा इस बारात घर को जैम टपससंहम ब्व३३वद स्ंदक ।बज 1961 की धारा 2 ळ व सरकार के छवजपपिबंजपवद 1999 की धारा 22 बी व जैम भ्तलंदं डनदपबपचंस	सर्वसम्मति से स्वीकार है। पार्षद वार्ड नं0 10 ने कहा कि बारातघर आर.डब्लू.ए. को दिया जाये। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। निर्णय लिया जायेगा। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**

SM

	ब्वतचवतंजपवद ;बज 1994 की धारा 2 ;उपधारा 52.। के तहत अपने कब्जे में लिया जाना है। अतः इस बारतघर को नगर निगम के अधीन लेने के लिए प्रस्ताव सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	
5.	**भारतीय रैड क्रास सोसाइटी द्वारा मांग की गई है कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक मार्कीट में 2 दुकाने अलाट की जाए।** सचिव, मार्कीट कमेटी ने दिनांक 05-01-2016 को माननीय आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक मार्कीट में 2 दुकाने अलाट की जाए। अतः भारतीय रैड क्रास सोसाइटी द्वारा की गई मांग पर विचार करने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	अस्वीकृत किया गया।
6.	**नगर निगम सीमा में आए गांवो के तालाबो को मछली पालन हेतु पटटे पर देने बारे।** नगर निगम सीमा में आए गांवो के तालाबो को मछली पालन हेतु पटटे पर देने बारे दिनांक 30-11-2015 को माननीय आयुक्त महोदय द्वारा गठित कमेटी द्वारा 8 जोहड़ो की बोली करवाई गई। इन जोहड़ो की बोली राशि 8,84000/-रु0 लगाई गई। गांववालो द्वारा इस बारे एतराज व विरोध करने पर फिलहाल बोली की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इन जोहड़ो को आगे बोली पर देने के लिए विचारार्थ प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	अस्वीकृत किया गया।
7.	**नगर निगम की भूमि गान्धी कैम्प में श्री कृष्ण लाल खुराना के मकान के साथ लगती भूमि मकान मालिक को देने बारे।** श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री आया राम निवासी जवाहर नगर, रोहतक ने प्रार्थना पत्र दे कर प्रार्थना की कि मकान के साथ लगती भूमि जो मेरे कब्जे में है मुझे दी जाए। इस बारे दिनांक 30-07-2015 को सदन की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि मकान के साथ लगती भूमि जो उसके कब्जे में है मकान मालिको को दी जाए। इस बारे दिनांक 14-11-2014 को हुई सदन की बैठक में प्रस्ताव पास करके चार पार्षदो श्रीमती अनिता मिगलानी, श्री अशोक खुराना, श्री जय किशन व श्री गुलशन ईश्पुनयानी की कमेटी गठित की गई थी। दिनांक 26-10-15 को गठित कमेटी को पत्र लिखा गया कि वह अपनी रिपोर्ट इस बारे प्रस्तुत करे। श्री अशोक खुराना व श्री जय किशन पार्षद ने श्री कृष्ण लाल जो	इस बारे सदन की अगली बैठक में विचार करने बारे निर्णय लिया गया । **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**

SNP

	32 वर्गगज़ भूमि कलैक्टर रेट पर देने की सहमति दी है। श्रीमती अनिता मिगलानी व श्री गुलशन ईशुनयानी पार्षद ने भूमि को बेचने का विरोध किया है, क्योकि यह लोगो की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। मन्दिर में उस मौहल्ले के लोग पूजा अर्चना करते है। इस लिए श्री कृष्ण लाल को 32 वर्गगज़ भूमि कलैक्टर रेट पर देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	
8.	**पैट्रोल पम्प की लीज के रेट बढ़ाने की बजाए सेल पर देने बारे।** नगर निगम रोहतक की दिनांक 08.10.2015 की बैठक में पैट्रोल पम्पों की लीज रद्द करने का फैसला लिया गया था। जिसके संदर्भ में श्री गौतम बतरा पुत्र श्री सुभाश चन्द बतरा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4552 दिनांक 17.12.2015 को नोटिस जारी किया गया था। जिसका उन द्वारा दिनांक 29.12.2015 को अपने जवाब में लीज रद्द ना करके उन्हें न्युन्तम रेट पर किस्तों में देने का अनुरोध किया है। नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 164 के तहत मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक कमेटी गठीत की हुई है, जो कि सेल रेट को निर्धारित कर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजेगी। इस लिए श्री गौतम बतरा पुत्र श्री सुभाश चन्द बतरा को सेल करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार को भेजने से पहले सदन की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्व सम्मति से लीज धारी की तरफ बकाया राशि जमा कराने उपरान्त आगामी कार्यवाही बारे सदन में रखा जाये। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
9.	**पैट्रोल पम्पों की लीज के रेट बढ़ाने बारे।** नगर निगम रोहतक की दिनांक 08.10.2015 की बैठक में पैट्रोल पम्पों की लीज रद्द करने का फैसला लिया गया था। जिसके संदर्भ में मैनेजर भारत पैट्रोलियम का0 ब्ध्व चौधरी ब्रार्दस रोहतक को पत्र क्रमांक 4554 दिनांक 17.12.2015 व मैनेजर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम का0 ब्ध्व कपुर चंद फतेह चंद रोहतक को पत्र क्रमांक 4551 दिनांक 17.12.2015 व मैनेजर भारत पैट्रोलियम का0 मार्फत शादीराम उदमीराम रोहतक को पत्र क्रमांक 4553 दिनांक 17.12.2015 को नोटिस जारी किया गया था। जिसका उन द्वारा दिनांक 28.12.2015 को अपने जवाब में लिखा है कि यह पम्प कम्पनियों के पम्प हैं, इनकी लीज रद्द ना करके लीज के रेट बढ़ा दिये जायें। नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 164 के तहत मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की हुई है, जो कि लीज रेट को निर्धारित कर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजेगी। इस लिए	सर्व सम्मति से लीज धारियों की तरफ बकाया राशि जमा कराने उपरान्त आगामी कार्यवाही बारे सदन में रखा जाये। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**

	इन कम्पनियों के पैट्रोल पम्पो के लीज़ के रेट बढाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार को भेजने से पहले सदन की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।	
10.	**डेयरियों को शहर से से शिफ्ट करने हेतु।** सभी डेयरी आनर ;दुर्गा भवन के पीछे द्ध ने अनुरोध किया है कि हम पिछले 50 50 वर्षो से डेयरियों में केवल भैंस खरीद फरोकत का काम कर रहे है। यहां दूध बिक्री का कार्य नहीं होता है। इस लिए हमें अलग से एक स्थान मुहैया कराया जाए ताकि वहां भी हम सब ;सी प्रकार से कार्य कर सके। सभी डेयरी आनर ;द्वारा बिक्री का कार्य के लिए 20 प्लाट 1000 वर्गगज़ के, 33 प्लाट 500 वर्गगज़ के, 36 प्लाट 250 वर्गगज़ के हो, तथा ;समें ठपव ळें का प्लान्ट, सड़क आदि जगह की मांग की है। ;न की मांग अनुसार इन प्लाटो के लिए 10-12 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। गांव गढी बोहर में नगर निगम की भूमि किला न0 227//19, 20, 21, 22, 261//20, 21, 262//6,7,14,15,16,17,18,23,24,25 कुल 16 एकड़ भूमि ;पलब्ध है। इस भूमि के कलैक्टर रेट 25 लाख रु0 प्रति एकड़ व मार्कीट रेट 60 लाख रु0 प्रति एकड़ है। डेयरी एसोसिएशन द्वारा की गई मांग पर विचार करने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	इस बारे सदन की अगली बैठक में विचार करने बारे निर्णय लिया गया । **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
11.	**पुर्नवास /नगर सुधार मण्डल तथा टाउन प्लानिंग स्कीम में वाणिज्यिक उपयोग करने बारे।** प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के यादि क्रमांक 2/ 33/ 2015-5क-।। दिनांक 15.10.15 द्वारा टा;न प्लानिंग स्कीम/ नगर सुधार मण्डल तथा पुर्नवास विभाग द्वारा स्थापित क्षेत्र में ब्वदअमतेपवद वि चसवज जव ब्व;;मतबपंस नेम के बारें पॉलिसी निर्धारित करते हुए स्पष्ट रिर्पोट/ टिप्पणी नगर निगम रोहतक से मांगी गई है। इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगम रोहतक में स्थित वर्ष 1950 से पूर्व पुर्नवास विभाग द्वारा स्थापित मॉडल टा;न, गांधी नगर/कैम्प, शिवाजी कालोनी तथा नगर सुधार मण्डल द्वारा स्थापित कालोनी श्याम कालोनी, नेहरू कालोनी, इन्द्रा कालोनी व इसके अतिरिक्त वर्ष 1952-53 के समय से स्थापित टा;न प्लानिंग स्कीम जैसे कि सुभाष नगर, झंग कालोनी, जनता कालोनी इत्यादि में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनें हुए है, परन्तु नगर निगम भवन प्लान स्वीकृत करने में सक्षम नही है। इसलिए इन कालोनियों का	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही नगर सहायक योजनाकार द्वारा की जानी है।)**

	विधिवत सर्वे करवाकार विस्तृत टिप्पणी/ रिपोर्ट सरकार को भिजवाई जानी उचित होगी। सदन में स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	
12.	**नगर सुधार मण्डल रोहतक द्वारा बनाई गई दुकानों के आगे बरामदे व दुकानो के आगे लगती सीढियों वाली जगह की कीमत जमा करवाने बारे।** श्री दलीप कुमार गिरधर पुत्र श्री सिधूराम निवासी 1530/20 बी-।।। पाडा मोहल्ला से प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी लाजपतराय मार्किट में दुकान नं0 22 है। उक्त दुकानदार दुकानों के आगे बरामदे व दुकानो के आगे लगती सीढियों वाली जगह की कीमत जमा करवाकर जगह को दुकान में शामिल करना चाहता है। उसके दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार अन्य दुकानदारों ने भी बरामदे को अपनी दुकान में शामिल किया हुआ है। यदि सदन स्वीकृति प्रदान करे तो संबधित दुकानदार से बरामदे व दुकान के साथ लगती सीढियों की जगह को सरकारी दर के अनुसार दिया जा सकता है। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कानूनी सलाह लेने के बाद आगामी कार्रवाई की जाए। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
13.	वार्ड नं0 6 में हरकी देवी कालोनी, बसंत विहार कालोनी, विशाल नगर तथा ताउ नगर में गली पक्की बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
14.	वार्ड नं0 4 में कमला परचून की दुकान से लेकर वाल्मिकी चौपाल तक गली पक्की करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
15.	वार्ड नं0 4 में तेज कालोनी में धानक चौपाल में 2 कमरे जर्जर अवस्था में है उसे तुडवाकर सामुदायिक भवन बनवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
16.	वार्ड नं0. 4 में पहले 30 सफाई कर्मचारी लगाए गये थे अब केवल 21-22 कर्मचारी ही शेष बचे है बाकी कर्मचारियों की डयूटी और कही लगा दी गई है जिसके कारण नियमित रूप से वार्ड में सफाई नही हो पा रही है। अतः वार्ड नं0 4 में 10 सफाई कर्मचारी और लगाए जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। नियमानुसार कार्रवाई अम्ल में लाई जाये। **(कार्यवाही मुख्यसफाई निरीक्षक द्वारा की जानी है।)**
17.	खोखराकोट में पानी की सुविधा मिल चुकी है परन्तु सीवर नही है व गलियां कच्ची है तथा जनस्वास्थ्य विभाग से सीवर डालने के अभी कोई आसार नही है। अतः जन सुविधा हेतू वहां फिलहाल ईन्टरलोकिंग टाईले लगवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
18.	गोहाना अड्डा लाला लाजपत राय की प्रतिमा व महाराजा अग्रसैन चौक का सौन्दर्यकरण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**

19.	वार्ड 14 में किला मोहल्ला की गलियों, प्रताप बाजार की मुख्य सडक और उसके साथ लगती गलियों, बडे बाजार की मुख्य मार्गों पर सडको व नालियो का निर्माण करवाया जाये। इसके अतिरिक्त सलारा मोहल्ला चुगान माता मन्दिर के पास तथा केवलगंज चौक से कसाई चौक तक मुख्य मार्ग व उसके साथ लगती गलियों का सडक का निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
20.	वार्ड नं0 5 प्रवेश नगर में महाबीर के मकान से लेकर आगे गली के आखिर तक सडक बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
21.	वार्ड नं0 13 मे मैन हैफेड चौक से लेकर हैफड गेट से आगे महेन्द्र किरयाणा वाले की दुकान तक, हैफेड रोड सुखपुरा चौक रमेश पेन्टर वाली गली, लाढौत रोड सुखपुरा नजदीक सुखपुरा चौक महेन्द्र नेहरा के मकान से डा0 त्रिलोक के मकान तक, राम रिछपाल कालानी में डा0 शानू से लेकर गगन के मकान तक, सांईदास कालोनी में अशोकी की दुकान से लेकर संजय के मकान तक, गुरूनानक पुरा में अतुल की दुकान से लेकर फौजी के मकान तक पक्की सडक बनवाई जाये इसके अतिरिक्त वजीर सिंह ठेकेदार व दीपचन्द की चक्की से लेकर लाढोत रोड पर गोहाना रोड तक दोनो तरफ ईन्टरलोकिंग टाईले लगवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
22.	वार्ड 13 राजेन्द्र नगर में बने पार्क का सौन्दर्यकरण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
23.	वार्ड नं0 15 में पुरानी सब्जी मंडी दरवाजा मोहल्ला वाल्मिकी मन्दिर के पास खाली पडी जगह जो कि पहले मार्किट कमेटी के पास थी अब नगर निगम रोहतक की है। उस जमीन को पूर्णतय नगर निगम के आधीन लेकर उस पर सामूदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
24.	वार्ड नं0 16 कुताना बस्ती मे गलियां पक्की बनवाई जाये तथा कुताना बस्ती की ढाणियां तारकोल या ईन्टरलोकिंग टाईल से बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
25.	वार्ड नं0 16 में न्यू राजेन्द्रा कालोनी तथा जनता कालोनी मे टूटी हुई गलियां दोबारा बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
26.	वार्ड नं0 16 मे सैनिक कालोनी मे बने पार्क को सुचारू रूप से विकसित किया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
27.	वार्ड नं0 16 में सैनिक कालोनी व जे0पी0 कालोनी के कम्यूनिटी सैन्टर की ग्रांट की स्वीकृति दी जाये जिसका अनुमान पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**

28.	वार्ड नं0 3 मे सांसी चौक से गांव रैनकपुरा तक स्कूल के साथ-2 जीन्द बाई पास रोड तक सडक पक्की करवाई जाये तथा नाला बनवाया जाये तथा सांसी चौक चमारिया रोड की मुरम्मत करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
29.	वार्ड नं0 3 में सलारा मोहल्ला मनोहर लाल के घर से लेकर सुनील कालू के मकान तक गली पक्की बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
30.	वार्ड नं0 3 गोपाल कालोनी में मुख्य तीन गलियां जोकि काफी पुरानी है उनकी मुरम्मत करवाई जाये तथा बालकनाथ मन्दिर जीन्द बाईपास रोड से लेकर रैनकपुरा गांव तक पक्की सडक बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
31.	वार्ड नं0 2 सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाये तथा कुआं मोहल्ला तालाब की चारदीवारी करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
32.	वार्ड नं0 2 शास्त्री नगर नरेन्द्रा महेन्द्रा स्कूल से आगे का एरिया अवैध घोषित किया हुआ है परन्तु वार्ड 2 अर्बन एरिया में आता है अतः वहां विकास कार्य करवाये जाये। इसके अतिरिक्त वार्ड मे बनी धर्मशालाओ व सामूदायिक केन्द्रो की हालत काफी जर्जर है उनकी मुरम्मत करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
33.	वार्ड नं0 7 गांव गढी बोहर मे पार्क का निर्माण करवाया जाये तथा शमशानघाट के साथ गउघाट बनवाया जाये तथा गांव गढी बोहर मे नगर निगम रोहतक द्वारा दी गई 1000 गज भूमि पर कुम्हार चौपाल का निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
34.	वार्ड नं0 7 गांव गढी बोहर मे वाल्मिकी चौपाल का निर्माण करवाया जाये इसके अतिरिक्त गांव बोहर में चारो चौपाल काफी जर्जर अवस्था में है उनकी मुरम्मत करवाई जाये इसके अतिरिक्त गांव गढी माजरा में चौपाल काफी जर्जर अवस्था में है उसका पुनः निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
35.	वार्ड नं0 7 गांव गढी माजरा में हरिजन चौपाल में गांव का सारा गंदा पानी एकत्रित हो रहा है जिसके कारण चौपाल की हालत काफी खराब है जो कि कभी भी गिर सकती है। अतः चौपाल से पानी निकासी का प्रबन्ध किया जाये एवं जर्जर हालत हो चुकी चौपाल को तुडवाकर पुनः बनवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
36.	वार्ड नं0 7 गांव गढी बोहर में तीन गउघाट बनवाए जाये एक धीका वाले तालाब के पास दो मण्डाला वाले तालाब के पास इसके अतिरिक्त धीका वाले तालाब की चार दीवारी करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**

SH

37.	वार्ड नं0 7 गांव गढी माजरा में नगर निगम द्वारा बनवाई जा रही शमशानघाट का निर्माण कार्य रूका हुआ उसे पुनः चालू करवाया जाये तथा गांव बोहर की पी0एच0सी0 काफी जर्जर अवस्था मे है तथा डाक्टर कही दूसरी जगह किराये पर रूम लेकर कार्य कर रहे है। अतः उसका पुनः निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
38.	वार्ड नं0 7 में चौकीदार पूरा दिन शराब के नशे मे रहते है व ठीक प्रकार से डयूटी नही दे रहे है जिसके कारण कोई भी अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है। अतः इन्हे हटाकर इनकी जगह दूसरे चौकीदारो की डयूटी लगाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। नियमानुसार कार्रवाई अम्ल में लाई जाये। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
39.	वार्ड नं0 8 बलियाणा गांव मे सीवर लाईन बिछाई जानी है जोकि मारूति प्लांट द्वारा बिछाई जानी इसके लिए मारूति प्लांट को लिखा जाये तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की उपलब्ध जगह पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसे हटवाकर कार्य आरम्भ करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। कब्जा हटवाने की कार्रवाई नियमानुसार अम्ल में लाई जाये। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
40.	बलियाणा में रिंग बांध 33 फुट चौडा है इसको सी0सी0 द्वारा पक्का किया जाये इस पर भारी वाहनों का आवागमन रहता है।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। इस बारे सदन में निर्णय लिया गया कि मैटलड रोड़ बनावाया जाये। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
41.	गांव खेडी साध में कोई भी आंगनवाडी केन्द्र नही है। इसके लिए जगह तो वार्ड मे उपलब्ध है उस पर आंगनवाडी केन्द्र बनाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, पी.ओ.आई.सी.डी.एस. व भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
42.	बलियाणा मे ढोकर तालाब जो कि पूजनीय है यहां श्रद्वालुओ का आवागमन रहता है इसकी रिर्टनिंग वाल के साथ-2 वाला रस्ता पक्का किया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
43.	वार्ड नं0 8 मे राजीव आवास योजना के तहत जो मकान बनने है उनका सर्वे अब भी अधूरा पडा है। निगम की टीम कब सर्वे कर गई पार्षद को पता ही नही होता। अतः आपसे अनुरोध है कि जब सर्वे करने जाये तो या तो संबधित पार्षद को साथ लिया जाये अथवा पार्षद से शपथपत्र/संतुष्टि पत्र अवश्य लिया जाये कि यह सर्वे सही है या नही?	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
44.	वार्ड नं0 12 आर्यनगर पार्क की चार दिवारी व ग्रील लगवाई जाये तथा मालाबार गेस्ट हाउस (ग्रीन रोड) के साथ वाली रोड तथा लिंक गलियों का निर्माण करवाया जाये। इसके अतिरिक्त ग्रीन रोड पर आशियाना बैंकट हाल के साथ वाली गली तथा सैनी स्ट्रीट का निर्माण तथा नालियां बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
45.	वार्ड नं0 12 रविदास नगर चांदराम की कोठी के साथ कुएं वाली गली तथा	सर्वसम्मति से स्वीकार है।

SM

	चौपाल के साथ वाली गली (गली नं0 5) पक्की बनवाई जाये। इसके अतिरिक्त घनीपुरा में देवकराम दहिया वाली गली, वर्मा सुनारो वाली गली, घनीपुरा की मुख्य सडक हंसराज चावला के घर से गुरूद्वारा तक पक्की सडक बनवाई जाये।	**(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
46.	तथा डी0एल0एफ0 कालोनी में श्याना वाली गली तथा घनीपुरा में जण्डी मन्दिर के पास महेन्द्र सैनी वाली गली में नालियों का निर्माण किया जाये तथा घनीपुरा में जण्डी मन्दिर के पास रामेश्वर वर्मा के घर के पास सडक पक्की बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
47.	वार्ड 11 में गलियों के निर्माण के समय घरो के आगे बने रैम्प न तोडे जाये क्यो कि प्रायः देखने मे आया है कि लोग सडक निर्माण के तुरन्त बाद रैम्प बनवा लेते है।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। रैम्प तोड़ने बारे कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जाये। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
48.	वार्ड 11 में सरकुलर रोड पर अंडर पास बनाया गया है जिसके कारण आने वाला टैफिक रिहायशी गलियों में से होकर गुजरता है जिसके कारण वहां रहने वाले लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अतः वहां ब्रेकर की व्यवस्था की जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
49.	डी0एल0एफ0 कालोनी मे सोमाशाह गुरूद्वारा वाली गली, ग्लोबल एकेडमी वाली गली, दुरेजा स्वीटस वाली गली,पटेल नगर में लेबर चौक से बाल्मिकि बस्ती वाली गली बनवाई जाये तथा चिन्योट कालोनी में वाईंडिग का कार्य करवाया जाये तथा शिव शंकर बारात घर का कार्य शुरू करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
50.	वार्ड 11 मे 2 ऐसे पेड है जो कि आमजन की परेशानी का कारण बने हुए है तथा पेड बडे होने के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटनाा की संभावना है। इन पेडो को कटवाने के लिए कई बार शिकायत की जा चुकी है परन्तु कोई कार्रवाई नही की गई। अतः इन दोनो पेडो को जल्द से जल्द कटवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही जिला वन अधिकारी व कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
51.	वार्ड 11 मे डी0एल0एफ0 पार्क मे गजिबो, जिम व झूले लगवाये जाये तथा अमित मिगलानी पार्क में झूले, टायलेट बनवाए जाये तथा विकास कार्य किये जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
52.	नगर निगम रोहतक के सभी वार्डो में सर्वे करवाकर व संबधित पार्षद से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार ब्रेकर बनवाए जाये एवं सभी वार्डो मे स्टीट लाईट लगवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
53.	गउकरण तालाब के पास नवनिर्मित अम्बेडकर भवन के रखरखाव के लिए हरियाणा दलित एवं पिछडा वर्ग कल्याण एशोशियेशन रोहतक को देने के लिए प्रस्ताव नगर निगम की सदन की बैठक मे विचारार्थ।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**

	(जनस्वास्थ्य विभाग से संबधित समस्याएं) 1. वार्ड नं0 6 हरकी देवी कालोनी में सीवर व पानी की लाईन डाली जाये। 2. वार्ड नं0 6 बसंत विहार कालोनी की कुछ गलियों में सीवर व पानी की लाईन डाली जाये। 3. वार्ड नं0 6 न्यू विशाल नगर में सीवर व पानी की लाईन डाली जाये। 4. वार्ड नं0 6 ता३ नगर मे सीवर लाईन व पानी की लाईन डलवाई जाये। 5. वार्ड नं0 3 व 4 में सीवर की समुचित व्यवस्था करवाई जाये। 6. वार्ड 14 सलारा मोहल्ला, किला मोहल्ला, प्रताप मोहल्ला व पाडा मोहल्ला जिन गलियो में सीवर व पानी की लाईन नही है उनमें सीवर व पानी की लाईन बिछवाएं। 7. वार्ड नं0 16 कुताना बस्ती मे सीवर लाईन डलवाई जाये। 8. वार्ड नं0 2 मे पुराना बस स्टैंट (दादु वाला तालाब इलाके) मे गली, सीवर व पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये। 9. वार्ड नं0 2 पांडू नगर में सीवर की समस्या का समाधान करवाया जाये। 10. वार्ड नं0 7 गांव गढी माजरा, बोहर, गढी बोहर व अस्थल बोहर में सीवर व पानी की लाईन डलवाई जाये। 11. वार्ड नं0 7 गांव गढी बोहर व बोहर मे Storm Water Drain बनवाई जाये। 12. वार्ड नं0 8 खेडी बलियाणा व कन्हेली में सीवर का प्रबन्ध नही है जिसके कारण गलियों का विकास कार्य रूका हुआ है अतः जल्द से जल्द सीवर लाईन का प्रबन्ध किया जाये ताकि विकास कार्य करवाये जा सके। 13. वार्ड नं0 8 में सडके व सीवर की कोई व्यवस्था नही है तथा कोई विकास कार्य नही हुआ है। अतः वार्ड 8 मे सीवर, पानी व सडको की व्यवस्था की जाये। 14. वार्ड 4 में कई कालोनियों में सीवर व पानी की लाईन नही है अतः पार्षद द्वारा चिन्हित गलियो में आवश्यकतानुसार सीवर व पानी की लाईन बिछवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
	(बिजली बौर्ड से संबधित समस्याएं)	

	1. वार्ड नं0 6 ता3 नगर मे बिजली के पोल पोल लगवाये जाये। 2. वार्ड नं0 6 की काफी कालोनियों में बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाईट नही है 3न सभी पर आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट लाईट लगवाई जाये। 3. वार्ड नं0 6 में जसबीर कालोनी में रेलवे लाईन के साथ रोड पर 4.5 बिजली के पोल व 3न पर स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये। 4. वार्ड 4 में कई कालोनियों में बिजली के खंभे नही लगाये गये है अतः पार्षद द्वारा चिन्हित गलियो में आवश्यकतानुसार बिजली के खंभे लगवाये जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
1.	नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले सभी तालाबो की सफाई, चारदीवारी तथा 3नका सौन्दर्यकरण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
2.	वार्ड नं0 8 के अंर्तगत गांव पहरावर में रूके हुए ग3शाला के निर्माण कार्य को पुनः चालू करवाने हेतू सदन मे विचारार्थ।	आयुक्त महोदय द्वारा संयुक्त आयुक्त एवं कार्यकारी अभियन्ता को संयुक्त रूप से विजिट करके होण्डा कम्पनी से लिये गये फण्ड के खर्चे बारे एवं वर्तमान स्थिति बारे रिपोर्ट प्रस्तुत करने बारे निर्देश दिये व कार्यकारी अधिकारी ग3शाला की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करे। **(कार्यवाही संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अभियंता व कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
3.	शहर की भगत सिंह पार्किग व भिवानी स्टैड की पार्किग के बारे में सदन को अवगत करवाया जाये कि 3क्त पार्किग चालू हालात में है या नही यदि चालू हालात में है तो पर्किग का ठेका कब व किस फर्म को तथा किस अधिकारी की स्वीकृति 3परांत दिया गया है? यदि कोई फर्म/ठेकेदार बिना किसी स्वीकृति से पार्किग चला रहा है तो 3स पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाये।	इस बारे सदन को अवगत कराया कि यह क्षेत्र सम्पदा अधिकारी, हुडा, रोहतक का है तथा इस कार्य को पीडब्लूडी बीएण्डआर द्वारा किया जा रहा है । आयुक्त महोदय द्वारा दोनो अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहिद भगत सिहं पार्किगं में हो रही अवैध पार्किगं को तुरन्त रोका जाये । **(कार्यवाही सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व अधीक्षक अभियंता, पीडब्लूडी बीएण्डआर व नगर निगम, रोहतक के अधीन पार्किंग के बारे कार्यवाही सहायक नगर योजनाकार द्वारा की जायेगी।)**
4.	प्रायः देखने मे आया है कि वार्डो में जो प्लाट खाली पडे रहते है 3नमें लोग कूडा कर्कट डाल देते है। इसके अतिरिक्त खाली प्लाट जिनका लेवल सडक से नीचे होता है 3नमें बरसात का पानी भर जाता है जिसके कारण गंदगी व बीमरियां फैलने का डर रहता है। अतः नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले इस प्रकार	सर्वसम्मति से स्वीकार है। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये कि ऐसे प्लाटधारको को 309 के नोटिस देना सुनिश्चित किया जाये । **(कार्यवाही मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा की जानी है।)**

ख़M

	के खाली प्लाटों के मालिको को निगम द्वारा सर्वे करवाकर नोटिस दिया जाये तथा नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाये।	
5.	दिनांक 09.06.2014 को सदन की बैठक में मद संख्या 9(ii) & 9(xiii) पर निगम पार्षदों को टोल प्लाजा में छूट देने बारे तथा पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मेडिकल सुविधा देने बारे प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बारे कार्यालय नगर निगम रोहतक के पत्र क्रमांक /2014/4940 दिनांक 25.06.2014 द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया था परन्तु अभी तक इस बारे सरकार से कोई जवाब नही मिला है तथा न ही कोई कार्रवाई की गई है। अतः निगम पार्षदों को टोल प्लाजा में छूट देने बारे तथा पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मेडिकल सुविधा देने बारे सरकार को पुनः पत्र लिखा जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जानी है।)**
6.	जनप्रतिनिधि कानून के तहत जो जनप्रतिनिधि है जैसे राज्यसभा सांसद तथा विधायक आदि इन सभी को जनप्रतिनिधि कानून के तहत सैलरी, भत्ते तथा पैंशन देने का प्रावधान है, जबकि निगम पार्षदों, निगम पार्षदों तथा पंचायतों के सदस्य जो कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत आतें है उन्हे भी राज्यसभा सांसद तथा विधायकों की तरह भत्ते तथा पैंशन इत्यादि देने के लिए सरकार से पत्राचार किया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जानी है।)**
7.	निगम पार्षदों को मोबाईल सिम देने सदन में विचारार्थ ।	सर्वसम्मति सरकार की हिदायतों अनुसार कार्यवाही करने बारे निर्णय लिया गया । **(कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जानी है।)**
8.	विनयनगर दिल्ली बाईपास, डी0आर0एस0 पैट्रोल पम्प के पास की नगर निगम की जमीन को लीज पर देने हेतू सदन में विचारार्थ ।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम की जमीन को पैट्रोल पम्प को देने बारे नियमानुसार कार्यवाही की जाये । तब तक इस जमीन पर पैट्रोल पम्प चलाने बारे शपथ पत्र/बैंक गारंटी लेकर पम्प चलाने की अनुमति दे दी जाये । **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
9.	हुडा सैक्टर ट्रांसफर करने बारे ।	सर्वसम्मति सरकार की हिदायतों अनुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेते हुए कार्यवाही करने बारे निर्णय लिया गया । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**
10.	सी0सी0टी0वी कैमरे ।	सर्वसम्मति से सरकार की मुंजूरी अनुसार कार्य करने बारे निर्णय लिया गया । **(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी है।)**

11.	घनीपुरा क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित करने बारे- सदन की बैठक में घनीपुरा क्षेत्र का किये गए सर्वे के क्षेत्र का नक्शा प्रस्तुत किया गया। जिसमें घनीपुरा के पुराने क्षेत्र में, जोकि नक्शें में लाल रंग से प्रदर्शित किया हुआ था, कुल 151 वाणिज्यिक -कम- औद्योगिक यूनिट लगे हुए है, जोकि बहुत पुराने है जिन्हें वहां से हटाया जाना सम्भव नही है। वार्ड न0. 12 के पार्षद द्वारा अनुरोध किया गया कि इस ब्लोक को वाणिज्यिक घोषित किया जाए। सदन द्वारा सर्वसम्मति से इसे वाणिज्यिक घोषित करने का अनुरोध पारित किया गया।	सदन में सहायक नगर योजनाकार द्वारा अवगत कराया कि वाणिज्यिकी क्षेत्र के लिये 20 फुट का रोड होना अनिवार्य है जिस बारे सदन में अग्नि शमन अधिकारी द्वारा भी अवगत कराया कि वहां फायर टेण्डर जाने में परेशानी आती है । इस संदर्भ में सरकार को पत्र लिखा गया था तथा सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था कि हरियाणा म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाई लाज 1962 के 13(1) के अनुसार कार्रवाई की जाये। सदन द्वारा शिवम एन्कलेव वाले 20 फुट रास्ते से आगमन बारे संबंधित वार्ड पार्षद की सहमति उपरांत स्वीकृति दी गई। **(कार्यवाही सहायक नगर योजनाकर द्वारा की जानी है।)**
12.	हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले में वृद्धा आश्रमों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करने बारे।	सर्व सम्मति से स्वीकार है। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**
13.	करौंथा काण्ड से पीड़ित परिवार के शास्त्री उदयवीर की स्टैचू हेतु 50 वर्गगज़ भूमि उपलब्ध करवाने बारे।	सर्वसम्मति से स्टैचू को लगाने से मना करते हुए कंडेला जोहड़ पर स्थल निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
14.	बेघर गाड़ियां लौहारों को प्लाट आवंटन बारे।	सर्वसम्मति से स्थगित किया गया ।
15.	पुराना जुडिशियल काम्पलैक्स की 5533 वर्गगज़ भूमि नगर निगम को स्थानान्तरण करने बारे।	सदन द्वारा निर्णय लिया गया है पुराना जुडिशियल काम्पलैक्स की 5533 वर्गगज़ भूमि के वाणिज्यिक रेट लगाये गये है जो कि अधिक है, इसलिए इस बारे सरकार को रिहायशी रेट पर दिये जाने या बिना किसी शुल्क के नगर निगम, रोहतक को स्थानान्तरण किया जाये बारे पत्र लिखा जाये। **(कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जानी है।)**

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों व अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 23/6/16

क्रमांक MCR/PA/2016/3220-24

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।

5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 23/6/16

क्रमांक MCR/PA/2016/3225-39

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. प्रशासक/ संपदा अधिकारी, हरियाणा, शहरी विकास प्राधिकरण,रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
7. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक।
8. सिविल सर्जन, रोहतक।
9. संपदा प्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना निगमए रोहतक।
10. जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक।
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
12. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, रोहतक।
13. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, रोहतक।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
15. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/PA/2016/ 3240-41 दिनांक 23/6/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।